10-12-2021

'महिलाओं के यौन उत्पीड़न' विषय पर कार्यशाला का आयोजन

कानपुर (नगर छाया समाचार)। कार्यस्थलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में गुरूवार को किया गया। इस कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रिसर्च स्कॉलरों ने भाग लिया।

अपने प्रारंभिक उद्बोधन में श्री ब्रजेश कुमार साहू, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने रोकथाम, निषेध, निवारण अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कार्यरत महिलाओं की गरिमा की रक्षा, मौलिक समानता और सुरक्षित वातावरण में काम करने के अधिकार को कायम रखना है। उन्होने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान में कार्यरत महिलाओं के कल्याण एवं किसी शिकायत के निस्तारण हेतु एक 'आन्तरिक शिकायत समिति' का गठन किया गया है।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए 'आन्तरिक शिकायत समिति' की अध्यक्षा डॉ0 आर. अनन्तलक्ष्मी ने कहा कि आज हम इस अधिनियम की 8वीं वर्षगांठ इस आशय के साथ मना रहे हैं ताकि कार्यरत महिलाओं को इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी जा सकेजो उनके सुरक्षित कार्य करने के सन्दर्भ में हैं। साथ ही इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित करना है ताकि वे स्वालम्बी बन सकें।

संस्थान के निदेशक श्री नरेन्द्र मोहन ने इस अवसर पर प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए उन्होंने मर्यादा को बनाये रखते हुए सौहाद्रपूर्ण वातावरण में एक साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों में संस्थान ने चीनी उद्योग में महिलाओं के लिये बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है जिसके फलस्वरूप अब संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रायें न केवल पढ़ रही हैं बल्कि अनुसंधान में भी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि हमें लैंगिक समानता का एहसासकरते हुये साथ मिलकर काम करना होगा जिससे संस्थान और पूरे देश को फायदा हो सकेगा।

साथ मिलकर काम करने से पूरे देश को होगा फायदा

कार्यशाला को सम्बोधित करते निदेशक नरेन्द्र मोहन।

(आज समाचार सेवा)

कानपुर, 9 दिसम्बर। कार्यस्थलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में किया गया। कार्यशाला में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं रिसर्च स्कालरों ने भाग लिया। संस्थान के निदेशक नरेन्द्र मोहन ने कहा कि मर्यादा को बनाये रखते हुए सौहाद्रपूर्ण वातावरण में एक साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विगत कुछ वर्षों में संस्थान ने चीनी उद्योग में महिलाओं के लिये बहुत सारे रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है जिसके फलस्वरूप अब संस्थान के विभिन्न पाठयक्रमों में छात्राएं न केवल पढ़ रही है बल्कि अनुसंधान में भी कार्यरत है। उन्होंने कहा कि हमें लैंगिक समानता का एहसास करते हुए साथ मिलकर काम करना होगा। जिससे संस्थान और पूरे देश को फायदा हो सकेगा। संस्थान के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ब्रजेश कुमार साहू ने रोकथाम, निषेध, निवारण अधिनियम 2013 के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए कहा कि इसका उदेश्य कार्यरत महिलाओं की गरिमा की रक्षा, मौलिक समानता और सुरक्षित वातावरण में काम करने के अधिकार को कायम रखना है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थान में कार्यरत महिलाओं के कल्याण एवं किसी शिकायत के निस्तारण के लिये आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। आन्तरिक शिकायत समिति की अध्यक्षा डॉ. आर अनन्तलक्ष्मी ने कहा कि आज हम इस अधिनियम की 8वीं वर्षगांठ इस आशय के साथ मना रहे है ताकि कार्यरत महिलाओं को इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी जा सके। साथ ही कार्यशाला का उदेश्य अधिक से अधिक महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिये प्रेरित करें जिससे महिलाएं स्वालम्बी बन सकें।

● राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में आयोजित हुई महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला

the pioneer
LUCKNOW | FRIDAY | DECEMBER 10, 2021

NSI workshop sensitises women about law against sexual harassment at workplace

PIONEER NEWS SERVICE ■ KANPUR

Dr R Ananthalakshmi, chairperson of internal complaint committee, while addressing a workshop on 'Sexual Harassment of Women at Workplace' at the National Sugar Institute, on Thursday, said it was good that the NSI had taken initiative to conduct such an essential workshop in an effort to sensitise the women workforce about the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 enacted for their safe working and to encourage more women to take up economic activities for being self-dependent.

She said the women at workplace were vulnerable to various types of harassments such as physical contacts and advances, a demand or request for sexual favour, making sexual-coloured remarks and all these types of unwelcome gestures that caused huge embarrassments to women and should be checked and prohibited at every cost.

She said it was the duty of the states to provide women a safer and respectable place for their working and a safer society where they were treated as equal and at a par with their male counterparts. She said there should be no discrimination on the basis of sex and complexion and women should be provided equal opportunities in progress and development in the society and organisations. She said women in India were the backbone of the country and one should understand and treat them as partners and not competitors.

Dr R Ananthalakshmi, Chairperson, Internal Complaint Committee, addressing a workshop on "Sexual Harassment of Women at Workplace" at the National Sugar Institute, on Thursday. Pioneer

Dr Laxmi said sexual harassment resulted in violation of the fundamental rights of a woman to equality under Articles 14 and 15 of the Constitution of India and their right to life and to live with dignity under Article 21 of the Constitution and right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business which included a right to a safe environment free from sexual harassment.

She said gender equality had made significant strides across the globe and the proportion of women in the labour force had grown in all regions, alongside declining participation rates among men. She added that this expansion had seen women being channeled into low-paid, low status, positions in industrial sectors characterised by low capital, poor mobility and limited job security.

She said aside from general pay discrimination which saw women on average still paid less than men for the same work, women workers also face a range of gender-specific discrimination, sexual harassment and violence in the workplace. She said in relation to pregnancy and maternity leave, issues included reduction of pay or hours, or termination of their employment. She said their disproportionate share of the responsibility for caring for children, sick or elderly relatives, undercuts their bargaining leverage and ability to walk away from abusive working conditions.

Addressing the workshop, NSI Director Prof Narendra Mohan called upon the participants to work together in a cordial atmosphere, maintaining dignity and decorum. He said during the last few years, sugar industries had been able to create job opportunities for women as a result of which now the NSI had many female students and research scholars. He said the NSI had to realise gender equality and work together benefitting the institute and nation as a whole.

Senior administrative officer Brajesh Kumar Sahu informed the gathering about the various provisions contained in the Act to safeguard the interest of women while working, protecting their dignity, upholding the right of fundamental equality and right to work in a safe environment. She said like any other organisation, the NSI also had constituted an internal complaint committee to look after the welfare of the women as per the provision of the Act.

The workshop was attended by the officers, staff and research scholars of the institute in large numbers.

लैंगिक समानता का अहसास कर साथ मिल करें काम

स्थानीय राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में कार्य स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर कार्यशाला को सम्बोधित करते संस्थान के निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन।

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में गुरुवार को 'कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न' विषयक कार्यशाला आयोजित कर अधिकारियों, कर्मचारियों व रिसर्च स्कॉलरों को मोटिवेट किया गया।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ब्रजेश कुमार साहू, आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ.आर अनंतलक्ष्मी व संस्थान निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन ने सभी से मर्यादाओं को कायम रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में साथ काम करने को प्रेरित किया।

निदेशक ने रिसर्च स्कालरों व कर्मियों को मोटीवेट किया

उन्होंने कहा कि संस्थान में छात्राओं की संख्या भी निरंतर बढ़ रही हैं। हमें लैंगिक समानता का अहसास करते हुए साथ मिलकर काम करना होगा।

सख्त कानून से रुका महिलाओं का उत्पीड़न

कानपुर (एसएनबी)। कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिये बनाये गये कानून काफी सख्त हैं। बस पीड़ित महिला को एक शिकायत करने की जरूरत है। सख्त कानून से महिलाओं का उत्पीड़न रुका है। यह बात गुरुवार को आयुध उपस्कर निर्माणी (ओईएफ) में आयोजित कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि आयुध निर्माणी की संयुक्त महाप्रबंधक ज्योति त्रिवेदी ने कही।

उन्होंने कहा कि यह कानून सार्वजनिक, असंगठित और निजी क्षेत्र पर भी लागू होता है। बस यह ध्यान रहे कि कानून का दुरुपयोग न हो। यह नियोक्ता पर संविधिक दायित्व अनिवार्य कर देता है। उन्होंने कहा कि जिस किसी भी संस्थान में दस से अधिक कर्मचारी हैं, वहां शिकायत समिति बनाना बाध्यकारी है। शिकायत समितियों के सक्रियता, कानून का भय और महिलाओं की जागरूकता के कारण ही आज कार्य स्थलों पर उनके साथ होने वाले उत्पीड़न की रोकथाम संभव हो सकी है। इस मौके पर ओईएफ की कार्य प्रबंधक एवं जनसंपर्क अधिकारी आइशा खान ने कहा कि आयुध निर्माणियों में महिला कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मान पूर्ण वातावरण के साथ समान अधिकार प्रदान किये गये है। यौन उत्पीड़न के मामले में : जीरो टालरेंस की नीति का पालन करते हुये शिकायत निवारण समिति तो गठित है ही, लेकिन प्रबंधन स्तर पर महिलाओं की हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। कार्यशाला में पीयूष द्विवेदी, शीवू. पी.निगम समेत काफी महिलाओं ने भाग लिया।